बिहार सरकार,
कृषि विभाग।

पत्र संख्या– रा०कृ०वि०यो०को०–33/2018– 451 /कृ0,पटना, दिनांक 04/02/,2019

प्रेषक,

रवीन्द्र नाथ राय,
विशेष सचिव,
कृषि विभाग, बिहार, पटना।

सेवा में,

महालेखाकार, बिहार,
वीरचन्द पटेल पथ, पटना।

(+) अनौपचारिक रुप से परामर्शित। द्वारा : वित्त विभाग, बिहार, पटना। (+)

विषय : **वित्तीय वर्ष 2018–19 में राष्ट्रीय कृषि विकास योजना–रफ्तार अतर्गत ई–किसान भवन का सुदृढ़ीकरण, गोदाम निर्माण एवं नैडेप कम्पोस्ट ईकाई निर्माण हेतु कुल 1662.204 लाख रूपये (सोलह करोड़ बासठ लाख बीस हजार चार सौ रूपये) {केन्द्रांश 997.3224 लाख रूपये (नौ करोड़ सतानवे लाख बतीस हजार दौ सौ चालीस रूपये) एवं राज्यांश 664.8816 लाख रूपये (छह करोड़ चौंसठ लाख अट्ठासी हजार एक सौ साठ रूपये)} की निकासी एवं व्यय की स्वीकृति।**

आदेश – स्वीकृत।

वित्तीय वर्ष 2018–19 में राष्ट्रीय कृषि विकास योजना–रफ्तार अतर्गत ई–किसान भवन का सुदृढ़ीकरण, गोदाम निर्माण एवं नैडेप कम्पोस्ट ईकाई निर्माण हेतु कुल 1662.204 लाख रूपये (सोलह करोड़ बासठ लाख बीस हजार चार सौ रूपये) {केन्द्रांश 997.3224 लाख रूपये (नौ करोड़ सतानवे लाख बतीस हजार दौ सौ चालीस रूपये) एवं राज्यांश 664.8816 लाख रूपये (छह करोड़ चौंसठ लाख अट्ठासी हजार एक सौ साठ रूपये)} की निकासी एवं व्यय की स्वीकृति प्रदान की जाती है।

2. भारत सरकार के पत्रांक–7–1/2018–RKVY दिनांक–14.05.2018 द्वारा वित्तीय वर्ष 2018–19 में राष्ट्रीय कृषि विकास योजना–रफ्तार अंतर्गत केन्द्रांश मद में कुल 121.43 करोड़ रू० (सामान्य 81.77 करोड़ रू०, अनुसूचित जाति 36.46 करोड़ रू० एवं अनुसूचित जनजाति 3.20 करोड़ रू०) उद्व्यय संसूचित किया गया है। उक्त उद्व्यय के आलोक में विभागीय पत्र संख्या–4065 दिनांक–30.07.2018 के द्वारा कृषि विभाग के लिए केन्द्रांश मद में कुल 49.23 करोड़ रू० (सामान्य 33.15 करोड़, अनुसूचित जाति 14.78 करोड़ एवं अनुसूचित जनजाति 1.30 करोड़) कर्णांकित किया गया है।

3. वित्तीय वर्ष 2018–19 में राष्ट्रीय कृषि विकास योजना–रफ्तार अंतर्गत केन्द्रांश मद में उद्व्यय का 50 प्रतिशत भारत सरकार के पत्रांक–1–4/2018–RKVY/1 दिनांक–07.09.2018 द्वारा सामान्य के लिए 40.89 करोड़ रू०, भारत सरकार के पत्रांक–1–4/2018–RKVY/2 दिनांक–07.09.2018 द्वारा अनुसूचित जाति के लिए 18.23 करोड़ रू० एवं भारत सरकार के पत्रांक–1–4/2018–RKVY/3 दिनांक–07.09.2018 द्वारा अनुसूचित जनजाति के लिए 1.60 करोड़ रू० कुल 60.72 करोड़ रूपये विमुक्त किया गया है। उक्त विमुक्ति के आलोक में विभागीय पत्र संख्या–5147 दिनांक–15.10.2018 के द्वारा कृषि विभाग के लिए इस योजना हेतु केन्द्रांश मद में कुल 24.62 करोड़ रू० (सामान्य 16.58 करोड़, अनुसूचित जाति 7.39 करोड़ एवं अनुसूचित जनजाति 0.65 करोड़) उपावंटित किया गया है।

4. राष्ट्रीय कृषि विकास योजना–रफ्तार अंतर्गत कार्यक्रम निम्न प्रकार है :–

(राशि लाख रू० में)

क्र०	कार्यक्रम	सहायता दर	भौतिक लक्ष्य	वित्तीय लक्ष्य
1	ई–किसान भवन का सुदृढ़ीकरण	रू० 503300/- प्रति ईकाई	188	946.204
2	गोदाम निर्माण	सामान्य रू० 500000/–प्रति ईकाई अथवा लागत का 50% जो भी कम हो एवं अनु०जाति/अनु०जनजाति रू० 600000/– प्रति ईकाई अथवा लागत का 75% जो भी कम हो	101 (सामान्य 72 एवं अनु० जाति/अनु० जनजाति 29)	534.00
3	नैडेप कम्पोस्ट ईकाई निर्माण	रू० 7000/- प्रति ईकाई	2600	182.00
	कुल			1662.204

5. राज्यादेश के साथ संलग्न अनुसूची की विवरणी निम्न प्रकार है:–

i. राष्ट्रीय कृषि विकास योजना–रफ्तार (वित्तीय वर्ष 2018–19) अंतर्गत ई–किसान भवन सुदृढ़ीकरण, गोदाम निर्माण एवं नैडेप कम्पोस्ट ईकाई निर्माण का जिलावार/निकासी एवं व्ययन पदाधिकारीवार वित्तीय लक्ष्य अनुसूची–1 के रूप में संलग्न है।

ii. राष्ट्रीय कृषि विकास योजना–रफ्तार (वित्तीय वर्ष 2018–19) अंतर्गत ई–किसान भवन सुदृढ़ीकरण, गोदाम निर्माण एवं नैडेप कम्पोस्ट ईकाई निर्माण का जिलावार/मदवार/कोटिवार वित्तीय लक्ष्य अनुसूची–2 के रूप में संलग्न है।

iii. राष्ट्रीय कृषि विकास योजना–रफ्तार (वित्तीय वर्ष 2018–19) अंतर्गत ई–किसान भवन सुदृढ़ीकरण का जिलावार/मदवार/कोटिवार वित्तीय लक्ष्य अनुसूची–3 के रूप में संलग्न है।

iv. राष्ट्रीय कृषि विकास योजना–रफ्तार (वित्तीय वर्ष 2018–19) अंतर्गत गोदाम निर्माण का जिलावार/मदवार/कोटिवार भौतिक एवं वित्तीय लक्ष्य अनुसूची–4 के रूप में संलग्न है।

v. राष्ट्रीय कृषि विकास योजना–रफ्तार (वित्तीय वर्ष 2018–19) अंतर्गत नैडेप कम्पोस्ट ईकाई निर्माण का जिलावार/मदवार/कोटिवार वित्तीय लक्ष्य अनुसूची–5 के रूप में संलग्न है।

6. **ई–किसान भवन का सुदृढ़ीकरण** :– राज्य के सभी जिला के प्रखण्डों में ई–किसान भवन का निर्माण कराया जा रहा है जिसमें प्रखण्ड स्तर पर सभी कृषि संबंधी तकनिकी सेवायें सीधे तौर पर किसानों को उपलब्ध कराया जाना है। जिसके लिए ई–किसान भवन में निम्नलिखित कार्यालय स्थापित किये जाने है :– (क) किसान सूचना एवं सलाहकार केन्द्र (ख) मिट्टी जाँच प्रयोगशाला (ग) प्रशिक्षण केन्द्र (घ) विश्रामालय (च) पौधा संरक्षण केन्द्र (छ) सूचना तकनीक एवं विपणन आसूचना केन्द्र (ज) कृषि यंत्र अधिकोष (भाड़े पर उपलब्ध कराने हेतु) (झ) प्रशासनिक परिसर (प्रखंड स्तरीय कृषि विकास पदाधिकारी का कार्यालय)। ई–किसान भवन इन्टरनेट सुविधा के साथ कृषि विभाग के एक बड़े सूचना तंत्र के साथ जुड़ा रहेगा एवं किसान मौसम एवं अन्य जानकारियों को यहाँ से सीधे प्राप्त कर सकते है। इसके अधीन कार्यालयों को स्थापित करने के लिए उपस्कर की आवश्यकता होगी। पूर्व में 268 प्रखण्डों में निर्मित ई–किसान भवन को उपस्कर से सुसज्जित किया जा चुका है। शेष 188 ई–किसान भवन को उपस्कर से सुसज्जित किया जाना है जिसके लिए 946.204 लाख रूपये व्यय किये जायेगें। जिला कृषि पदाधिकारी उपस्कर आदि का क्रय वित्तीय नियमावली के आलोक में करेंगे जिससे की भविष्य में कोई कठिनाई उत्पन्न नहीं हो। इस योजना से संबंधित प्रखण्डों के किसानों को लाभ होगा। ई–किसान भवन की स्थापना के फलस्वरूप प्रखंड स्तर पर कृषि संबंधी समग्र सेवायें एक ही खिड़की से दी जा सकेगी जिससे किसानों को विश्वसनीय तरीके से उपादानों एवं सेवाओं की सुनिश्चित व्यवस्था होगी जिससे कृषि उत्पादन एवं किसानों के आय में वृद्धि होगी। उक्त कार्यक्रम से संबंधित विवरणी अनुसूची–6 के रूप में संलग्न है। उक्त कार्यक्रम का विस्तृत कार्यान्वयन अनुदेश संयुक्त निदेशक (रसायन) मिट्टी जाँच प्रयोगशाला, बिहार, पटना द्वारा निर्गत किया जायेगा।

7. **गोदाम निर्माण** :– फसलों के उत्पाद के उचित भण्डारण के लिए संसाधनों का अभाव किसानों की समस्या को बढ़ाता है। उपयुक्त भंडारण के अभाव में अनाज की क्षति होती है। जैव कारकों से होने वाली क्षति को आधुनिक तकनीक अपनाकर कम किया जा सकता है। ग्रामीण स्तर पर अनाजों के सुरक्षित भंडारण तथा कृषि आधारित उद्यमिता के विकास के लिए राष्ट्रीय कृषि विकास योजना– रफ्तार अन्तर्गत विपणन सहायता के लिए भण्डारण की सुविधा हेतु गोदाम निर्माण की योजना ली गई है जिसकी क्षमता 200 मे0 टन होगी। भंडारण की व्यवस्था होने से किसान कृषि उत्पादों का सुरक्षित भंडारण कर अधिक लाभकारी मूल्य प्राप्त कर सकते हैं। यदि राज्य सरकार को किसी भी योजना में गोदाम की आवश्यकता होगी तो गोदाम लाभान्वित कृषकों द्वारा राज्य सरकार को उपलब्ध कराना होगा। कृषि निदेशालय, बिहार, पटना के पत्र संख्या–3916 दिनांक–23.07.2018 के द्वारा हरित क्रांति उप योजना अंतर्गत गोदाम निर्माण का निर्गत विस्तृत कार्यान्वयन अनुदेश के अनुसार ही राष्ट्रीय कृषि विकास योजना–रफ्तार अंतर्गत गोदाम निर्माण का कार्यान्वयन किया जायेगा।

8. **नैडेप कम्पोस्ट ईकाई निर्माण** :– कृषि कल्याण अभियान अन्तर्गत राष्ट्रीय कृषि विकास योजना–रफ्तार से नैडेप कम्पोस्ट इकाई निर्माण किया जाना है। योजना का कार्यान्वयन परम्परागत कृषि

विकास योजना के मानदंड (Norms) के अनुरूप किया जायेगा। नैडेप विधि से गुणवत्तापूर्ण कम्पोस्ट का उत्पादन किया जाता है। इस योजना के माध्यम से किसान न्यूनतम मानव प्रयास से एक विशिष्ट अवधि के अंदर अधिक मात्रा में कम्पोस्ट का उत्पादन कर सकेगें। चयनित जिलों में 10 (दस) गॉवों का चयन किया गया है जिसमें प्रत्येक गॉव में 20 (बीस) नैडेप कम्पोस्ट इकाई का निर्माण किया जाना है। राज्य के 13 जिलों के चयनित गॉवों में कुल 2600 नैडेप कम्पोस्ट इकाई का निर्माण कराया जायेगा जिसके तहत कुल 182.00 लाख रूपये (एक करोड़ बेरासी लाख) व्यय किया जायेगा। उक्त कार्यक्रम से संबंधित विवरणी अनुसूची–7 के रूप में संलग्न है। उक्त कार्यक्रम का विस्तृत कार्यान्वयन अनुदेश प्रभारी पदाधिकारी, जैविक प्रोत्साहन कोषांग, कृषि निदेशालय, बिहार, पटना द्वारा निर्गत किया जायेगा।

9. गोदाम निर्माण में राज्य स्कीम से अनुदान टॉप–अप करने के लिए राज्य स्कीम से 87.00 लाख रू० की निकासी एवं व्यय की स्वीकृति हेतु अलग से राज्यादेश निर्गत की जायेगी।

10. राष्ट्रीय कृषि विकास योजना के प्रावधानों के अनुसार उक्त कार्यक्रमों को राज्य स्तरीय स्वीकृति समिति की दिनांक 20.08.2018 की बैठक में स्वीकृति प्रदान की गई है।

11. उक्त योजना से लाभान्वित कृषकों, जिनका बैंक में खाता खुल चुका है, को अनुदान की राशि/लाभ DBT (Direct Benefit Transfer) Programme के तहत सीधे बैंक खाता में अंतरित किया जायेगा। जिन कृषकों का अभी तक बैंक में खाता नहीं खुला है, उनका बैंक खाता खुलवाना अनिवार्य है। इन कृषकों का बैंक खाता खुल जाने के उपरांत इस योजना का लाभ मिल सकेगा।

12. अनुसूची–3, 4 एवं 5 के निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी संबंधित जिला के जिला कृषि पदाधिकारी होंगे। स्वीकृत राशि की निकासी जिला कृषि पदाधिकारी के द्वारा संबंधित कोषागार से की जायेगी।

13. प्रशासी विभाग के द्वारा भौतिक एवं वित्तीय लक्ष्य संशोधन किया जा सकेगा।

14. योजना का कार्यान्वयन विभाग द्वारा निर्गत कार्यान्वयन अनुदेश तथा भारत सरकार से प्राप्त मार्गदर्शिका के अनुसार किया जायेगा। कार्यान्वयन अनुदेश में आवश्यकता होने पर आवश्यक संशोधन प्रशासी विभाग द्वारा किया जा सकता है।

15. जिला कृषि पदाधिकारी/कार्यान्वयन एजेंसी द्वारा राष्ट्रीय कृषि विकास योजना–रफ्तार के लिए अलग से बैंक खाता एवं लेखा का संधारण किया जायेगा। जिला कृषि पदाधिकारी/कार्यान्वयन एजेंसी द्वारा उपयोगिता प्रमाण पत्र कृषि विभाग को उपलब्ध करायी जायेगी एवं इसकी प्रति महालेखाकार, बिहार के कार्यालय को भेजी जायेगी। साथ ही बिहार वित्तीय नियमावली के अनुरूप अंकेक्षित लेखा विवरणी उपलब्ध कराने की भी अनिवार्यता होगी। महालेखाकार बिहार को अंकेक्षण का अधिकार होगा।

16. वित्तीय वर्ष 2018–19 में बजट शीर्ष एवं स्वीकृत राशि से संबंधित विवरणी निम्न प्रकार है :–

(राशि लाख रू० में)

	बजट शीर्ष	उपबंधित राशि	स्वीकृत राशि
1.	राष्ट्रीय कृषि विकास योजना (केन्द्रांश)		
(i)	मुख्य शीर्ष 2401–फसल कृषि कर्म–उपमुख्य शीर्ष–00–लघु शीर्ष–109–विस्तार तथा किसानों को प्रशिक्षण–मांग सं०–1, उपशीर्ष–0216– राष्ट्रीय कृषि विकास योजना (आर०के०वी०वाई०) (ए०सी०ए०), विपत्र कोड–1–2401001090216, विषयशीर्ष–31 – सहायता अनुदान–0216.31.06 सहायक अनुदान–गैर वेतन	11205.00	671.83954
(ii)	मुख्य शीर्ष 2401–फसल कृषि कर्म–उपमुख्य शीर्ष–00–लघु शीर्ष–789–अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना–मांग सं०–1, उपशीर्ष–0203–राष्ट्रीय कृषि विकास योजना(आर०के०वी०वाई०)(ए०सी०ए०),विपत्र कोड –1–2401007890203 , विषय शीर्ष–31–सहायता अनुदान–0203.31.06 सहायक अनुदान–गैर वेतन	2417.00	296.8121
(iii)	मुख्य शीर्ष 2401–फसल कृषि कर्म–उपमुख्य शीर्ष–00–लघु शीर्ष–796–जनजातीय क्षेत्र उप योजना–मांग सं०–1, उपशीर्ष–0231–राष्ट्रीय कृषि विकास योजना (आर०के०वी०वाई०) (ए०सी०ए०), विपत्र कोड –1–2401007960231, विषय शीर्ष–31–सहायता अनुदान–0231.31.06 सहायक अनुदान–गैर वेतन	192.00	28.67076
	योग	13814.00	997.3224
2.	राष्ट्रीय कृषि विकास योजना (राज्यांश)		
(i)	मुख्य शीर्ष 2401–फसल कृषि कर्म–उपमुख्य शीर्ष–00–लघु शीर्ष–109–विस्तार तथा किसानों को प्रशिक्षण–मांग सं०–1, उपशीर्ष–0316–राष्ट्रीय कृषि विकास योजना (आर०के०वी०वाई०) (ए०सी०ए०), विपत्रकोड–1–2401001090316, विषय शीर्ष– 31–सहायता अनुदान–0316.31.06 सहायक अनुदान–गैर वेतन	7470.00	447.89303